

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती मंजुदेवी

किस्म मुकदमा -212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री प्रहलाद

पत्रावली संख्या : 07 / 25

जीसीएमएस : 2025 / 26

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 06.05.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा मूल वाद में प्रार्थना पत्र वाद विद्रो का पेश किया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद में प्रार्थना पत्र विद्रो का पेश कर मूल प्रकरण को इसी स्तर पर विद्रो किये जाने का निवेदन किया। जिससे मूल वाद आज दिनांक को विद्रो किया जाकर खारिज किया जा चुका है।</p> <p>अतः मूल वाद विद्रो किये जाने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

